Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)
प्रेस नोट

- **दूदू जिला कलेक्टर एवं पटवारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा प्रकरण दर्ज कर की जा रही हैं सर्च कारवाई**

जयपुर, 26 अप्रैल । भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो मुख्यालय के निर्देश पर जिला कलेक्टर दूदू श्री हनुमान मल ढाका व श्री हंसराज हल्का पटवारी दूदू द्वारा रिश्वत मांगने के संबंध में शुक्रवार को पीसी एक्ट की धारा में प्रकरण दर्ज कर निवास स्थान डाक बंगला दूदू, व तहसील कार्यालय दूदू में तलाशी की जा रही है ।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उपमहानिरीक्षक पुलिस प्रथम, डॉ रवि के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर नगर द्वितीय, श्री सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में सर्च कार्रवाई की जा रही हैं। जिसमें जिला कलेक्टर दूदू के निवास स्थान डाक बंगला दूदू व तहसील कार्यालय दूदू पर तलाशी की कारवाई की जा रही है ।

उपमहानिरीक्षक डॉ रवि ने बताया की परिवादी द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई की दूदू मैं उसकी फर्म के नाम से 204 बीघा जमीन में से कुछ खसरे तालाब /पाल क्षेत्र में होने के कारण कन्वर्जन करवाए जाने की बात को लेकर एक शिकायत जिला कलेक्टर के पास होने पर उसमें कारवाई नहीं करने के ऐवज में दूदू कलेक्टर एवं पटवारी द्वारा परिवारी से 25 लाख रुपए की मांग कर परेशान किया जा रहा था जिसमे 21 लाख रूपये लेना तय हुआ ।

उल्लेखनीय है की 21 लाख रुपए परिवादी द्वारा ज्यादा होना बताकर 15 लाख रुपए लेना तय हुआ जिसमें 7.5 लाख रुपए कलेक्टर द्वारा अपने डाक बंगले पर मंगवाया जाना रिकॉर्डिंग वार्ता में स्पष्ट हुआ हैं।ब्यूरो द्वारा प्रारंभिक जांच में दूदू कलेक्टर श्री हनुमान मल ढाका व पटवारी श्री हंसराज द्वारा रिश्वत की मांग करने का सत्यापन करने के उपरांत दोनों के विरुद्ध पी. सी एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया।

अनुसंधान में प्रारंभिक तौर पर परिवादी की शिकायत जिसमें रिश्वती मांग का का सत्यापन का प्रकरण बनना पाया जाने पर माननीय न्यायालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर से सर्च वारंट प्राप्त कर जिला कलेक्टर दूदू के निवास स्थान डाक बंगला दूदू व तहसील कार्यालय दूदू में तलाशी की कार्रवाई की जा रही हैं।